न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 112/2018 **दायरा दिनांक : 06.07.2018**

उनवान

जानकीलाल पुत्र ताराचन्द, जाति कुल्मी, निवासी हरिपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— दीपचन्द वल्द ताराचन्द, जाति कुल्मी, निवासी हरिपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2— बालमुकन्द वल्द ताराचन्द, जाति कुल्मी, निवासी हरिपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3— पुरूषोत्तम वल्द ताराचन्द, जाति कुल्मी, निवासी हरिपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4— सम्पत बाई पुत्री ताराचन्द, जाति कुल्मी, निवासी हरिपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

5— सुमित्रा पुत्री ताराचन्द, जाति कुल्मी, निवासी हरिपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 573/दावा/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 दीपचन्द वल्द ताराचन्द कुल्मी निवासी हरिपुरा, तहसील झालरापाटन ने यह वाद खिलाफ बालमुकन्द, पुरूषोत्तम, जानकीलाल (अपीलांट) सम्पपत बाई, सुमित्राबाई के खिलाफ अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कानून सम्मत विभाजन आराजियात ग्राम हरिपुरा किया था, जिसमें अपीलांट ने जवाबदावा पेश करते हुए विपरीत वाद बाबत कानून सम्मत विभाजन दिनांक 17.11.2015 को पेश किया जिसके बाद जवाबुल जवाब में तारीखें पड़ती रही बाद में यह वाद न्याय आपके द्वारा राजस्व लोक अदकालत 2017 में रखा दिया गया जिसमें दिनांक 16.03.2016 को प्रारम्भिक डिक्री फरमाते हुए राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की अध्याय 4 नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार झालरापाटन से मंगवाया गया बाद में दिनांक 27.07.2016 एवं 30.08.3016 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहे । इसके बाद दिनांक 04.10.2016 को बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया । इसके बाद बिना सूचना एवं गलततौर से दिनांक 30.05.2017 को बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री पारित कर दी गई जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध है एवं अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प में निर्णय पारित

किया जो त्रुटिपूर्ण है । दिनांक 07.11.2016 तथा उसके बाद की तारीख फरीकेन को नहीं दी गई एवं विधि विरूद्ध दिनांक 30.05.2017 को फाईनल डिक्री बनाने का आदेश जो नौ लाईन का है जारी कर दिया जो अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने फरीकेन को बंटवारा प्रस्ताव पर नहीं सुना । इस प्रकरण में पहले जो विभाजन स्कीम आई थी वह केवल वादी दीपचन्द के बाबत आयी थी जिस पर अपीलांट के वकील ने आपत्ति की थी जिस पर दोबारा प्रस्ताव बंटवारा मंगवाया गया था किन्तु फरीकेन को आगामी तारीख नहीं दी गई थी जिस कारण आदेश एक तरफा है, मनमाना है परवर्स तथा केप्रिसियस है एवं अपास्त होने योग्य है । फाईनल डिक्री विधि विरूद्ध बनायी गयी है फरीकेन को नहीं सुना गया जिस कारण फरीकेन के कब्जे में जो आराजीयात चल रही थी उसको दूसरे फरीकेन को फाईनल डिक्री में दे दिया गया है जिससे अपीलांट को सारवान नुकसान हुआ है जिस कारण फाईनल डिक्री अपास्त होने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.05.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांट बीमार होने से अपील समय पर पेश नहीं कर सका अतः अपीलांट स्वस्थ्य होने पर अपील पेश की जो अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायोचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई । अतः न्याय हित में हम प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर अधिकतम 3 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा